

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठी आईओएसओ

GCMS No.2021/1

(Bank Case)

Manual no- 5/2021

एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

— प्रार्थी

## बनाम

1. श्री छितर लाल पुत्र श्री राम रतन धोबी जाति धोबी निवासी 20, लाला हेडा, श्यामपुरा, ग्राम लाला हेडा, तहसील सांगोद जिला कोटा (राज) 325601  
(ऋणी)
2. श्री देवकीनंदन मेरोथा पुत्र श्री चितर लाल जाति धोबी निवासी 11, ब्राह्मणों का मोहल्ला, लाला हेडा, तहसील-सांगोद, जिला कोटा (राज) 325601  
(सहऋणी / बंधककर्ता)
3. श्री भीमराज प्रजापती पुत्र श्री बजरंग लाल प्रजापति जाति प्रजापती निवासी- लाला हेडा, तहसील सांगोद जिला कोटा (राज) 325601
4. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री हिरालाल निवासी बैरवो का मोहल्ला, श्यामपुरा, लाला हेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज) 325601 (जमानती)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 27.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.06.2017 को 5,00,000/- (अक्षरों: रुपये पाच लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक अचल सम्पत्ति श्री छितर लाल पुत्र श्री राम रतन धोबी जाति धोबी की सम्पत्ति जो मिसल संख्या 2 दिनांक 05.12.2015, पट्टा संख्या 3261 दिनांक 20.01.2016, खसरा संख्या 19, ग्राम मंडाप, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा (राज.) पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 1188 वर्ग फीट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- श्री विष्णु शर्मा का मकान, दक्षिण में- रोड, पूर्व में- श्री शम्भू दयाल का मकान, पश्चिम में- श्री महावीर शर्मा का मकान स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्त्तिम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 20.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 5,81,481 रुपये (अक्षरों:- पाच लाख इक्यासी हजार चार सौ इक्यासी रुपये मात्र ।) दिनांक 12.03.2019 तक व दिनांक 13.03.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व


जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)

खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति श्री छितर लाल पुत्र श्री राम रतन घोषी जाति घोषी की सम्पत्ति जो मिसल संख्या 2 दिनांक 05.12.2015, पट्टा संख्या 3261 दिनांक 20.01.2016, खसरा संख्या 19, ग्राम मंडाप, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा (राज.) पर स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1188 वर्ग फीट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- श्री विष्णु शर्मा का मकान, दक्षिण में- रोड, पूर्व में- श्री शम्भू दयाल का मकान, पश्चिम में- श्री महावीर शर्मा का मकान स्थित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया।

  
(उज्ज्वल राठी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज०)

